

## भूमि सुधार उप समाहर्ता का न्यायालय, घाटशिला।

क्रमांक/तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	की गई कार्रवाई												
01/08/2019	<p style="text-align: center;">विविध वाद सं०- 01... (B.C.) / 2019-20 / CNT-46</p> <p>पुटी बाला उर्फ पुटी बाला महतो, पति-स्व० सनातन महतो ..... आवेदिका -----बनाम----- प्रेमानन्द महतो, पिता-श्री लाल मोहन महतो ..... क्रेता</p> <p style="text-align: center;"><u>आदेश</u></p> <p>छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम की धारा-46 के अन्तर्गत आवेदिका (विक्रेता) पुटी बाला उर्फ पुटी बाला महतो, पति-स्व० सनातन महतो, ग्राम-सिंहपुरा, थाना-गुड़ाबान्दा, जिला-पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर, जाति-"कुर्मी" (पिछड़ा वर्ग) द्वारा निम्नलिखित विवरण की भूमि को क्रेता प्रेमानन्द महतो, पिता-श्री लाल मोहन महतो, ग्राम-अर्जुनबेड़ा, थाना-गुड़ाबान्दा, अंचल-गुड़ाबान्दा, जिला-पूर्वी सिंहभूम, जाति-"कुर्मी" (पिछड़ा वर्ग) को बिक्री हेतु अनुमति प्रदान करने के लिए आवेदन दिया गया है:-</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin: 10px 0;"> <thead> <tr> <th>अंचल</th> <th>मौजा</th> <th>थाना नं०</th> <th>खाता नं०</th> <th>प्लॉट नं०</th> <th>रकबा</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>गुड़ाबान्दा</td> <td>ज्वालकाटा</td> <td>1044</td> <td>32</td> <td>790</td> <td>4.8 डि०</td> </tr> </tbody> </table> <p>संबंधित अंचल अधिकारी से जाँच प्रतिवेदन की मांग की गई। सर्व साधारण सूचना दिनांक:-22/04/2019 के द्वारा आपत्ति की मांग की गई। इस अनुमति आवेदन के विरुद्ध किसी को कोई आपत्ति हो तो वे दिनांक 08/05/2019 तक आपत्ति दायर कर सकते हैं।</p> <p>अंचल अधिकारी, गुड़ाबान्दा के पत्रांक-172, दिनांक:-03/06/2019 द्वारा जांच प्रतिवेदन एवं नोटिस का तामिला प्राप्त है। उक्त वर्णित भूमि का अन्तरण पर किसी के द्वारा आपत्ति नहीं दी गई है। जांच प्रतिवेदन एवं प्राप्त दस्तावेज के अनुसार वर्णित भूमि हाल सर्वे 1964 के खतियान में गौर महतो, पिता-जीतु महतो के नाम पर दर्ज है। लगान रसीद भी उन्ही के नाम से काट रहा है। आवेदिका उपस्थित होकर बताया कि भूमि पर किसी भी प्रकार का न्यायालय में वाद नहीं चल रहा है। आवेदित भूमि आवेदिका का श्वासुर गौर महतो के नाम से दर्ज है तथा आवेदिका अपने हिस्से की भूमि बेचना चाहती है। आवेदित भूमि बिक्री के बाद उनके पास लगभग पाँच बीघा से अधिक भूमि अवशेष बचता है। इस संबंध में आवेदिका द्वारा शपथ पत्र संख्या-...20... दिनांक-...20.../07.../2019 दाखिल किया गया है। मुखिया, ग्राम पंचायत, सिंहपुरा का आवेदित भूमि से संबंधित वंशावली प्राप्त है। प्राप्त वंशावली के अनुसार शेष अंशदार गुणाधर महतो, गोर्बधन महतो तथा साहेब महतो, पिता-स्व० त्रिलोचन महतो, ग्राम-सिंहपुरा, थाना-गुड़ाबान्दा द्वारा अनापत्ति शपथ पत्र संख्या-...21... दिनांक:-...20.../07.../2019, शत्रुघन महतो, पिता-स्व० गौर महतो, ग्राम-सिंहपुरा, थाना-गुड़ाबान्दा द्वारा अनापत्ति शपथ पत्र संख्या-...22... दिनांक-...20.../07.../2019, तथा भरत महतो, पिता-स्व० गौर महतो,</p>	अंचल	मौजा	थाना नं०	खाता नं०	प्लॉट नं०	रकबा	गुड़ाबान्दा	ज्वालकाटा	1044	32	790	4.8 डि०	
अंचल	मौजा	थाना नं०	खाता नं०	प्लॉट नं०	रकबा									
गुड़ाबान्दा	ज्वालकाटा	1044	32	790	4.8 डि०									

*Handwritten signature*  
11/08/19

ग्राम-सिंहपुरा, थाना-गुड़ाबान्दा द्वारा अनापत्ति शपथ पत्र संख्या-23,  
दिनांक-20/07/2019 दखिल किया गया है।

आवेदित भूमि बेचने के पश्चात आवेदिका का जीवन यापन के लिए पर्याप्त भूमि अवशेष बचता हैं। आवेदिका (विक्रेता) एवं क्रेता दोनो एक ही जिला के हैं तथा पिछड़ा वर्ग के सदस्य हैं। इसके संबंध में विक्रेता की ओर से अंचल अधिकारी का कार्यालय, गुड़ाबान्दा द्वारा निर्गत आवासीय प्रमाण-पत्र संख्या-1258, दिनांक-28/06/2011 तथा ऑन लाईन निर्गत जाति प्रमाण-पत्र संख्या-JHCC/2019/238656, दिनांक-27/03/2019 तथा क्रेता की ओर से अनुमण्डल पदाधिकारी, का कार्यालय, घाटशिला द्वारा निर्गत ऑन लाईन आवासीय प्रमाण-पत्र संख्या-JHRC/2016/808457, दिनांक-02/01/2017, तथा उपायुक्त का कार्यालय, पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर द्वारा ऑन लाईन निर्गत जाति प्रमाण-पत्र संख्या-JHCC/2017/457104, दिनांक-31/05/2017 तथा आधार कार्ड, लगान रसीद आदि की छायाप्रति संलग्न किया गया है।

आवेदिका 4.8 डिसमल भूमि को शादी ब्याह एवं अन्य घरेलु खर्च हेतु आवेदित भूमि कुल-1,60,000.00/- ( एक लाख साठ हजार ) रुपये में बेचना चाहती हैं।

अतः प्रस्तुत कागजात एवं अंचल अधिकारी गुड़ाबान्दा से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आधार पर छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम की धारा-46 के अन्तर्गत आवेदित भूमि मौजा-ज्वालकाटा, थाना नं0-1044, खाता नं0-32, प्लॉट नं0-790, रकवा-4.8 डिसमल भूमि की अन्तरण हेतु आवेदिका (विक्रेता) को इस शर्त के साथ अनुमति दिया जाता है कि क्रेता-विक्रेता बिक्री की जाने वाली भूमि के हक/दखल/कब्जा/कोई विवाद के संबंध में उभय पक्ष स्वयं जिम्मेवार होंगे।

लेखापित एवं संशोधित

अधिनियम के अन्तर्गत उपायुक्त

-सह-

भूमि सुधार उप समाहर्ता,  
घाटशिला।

अधिनियम के अन्तर्गत उपायुक्त

-सह-

भूमि सुधार उप समाहर्ता,  
घाटशिला।

c.c. of last order  
is issued.  
28/08/19